प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला..... **भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली,** .....थाना.....**प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**... वर्ष ...**2023**....
प्र. इ. रि. स. ....49/2023........ दिनांक 01/3/2023
2. (अ) अधिनियम ....**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)** ...धारायें...**7**.................
(ब) अधिनियम ....धारायें..
(स) अधिनियम ....धारायें..
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....06.........समय 8:30PM
(ब) अपराध घटने का दिन–दि.–.................**मंगलवार/28.02.2023/12:03 पी.एम**..............................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .... समय. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – .... **मौखिक/लिखित** ....
5. घटनास्थल :–......**किराया का कमरा दुकान नुमा (ऑफिस), आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल के पास, कस्बा सपोटरा, जिला करौली**...
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – .....**बजानिव दिशा दक्षिण–पश्चिम, दूरी करीब 50 कि.मी**.........
(ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायम देही सं..
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.................जिला.........................
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ....**श्री चिरंजी** ....
(ब) पिता /पति का नाम .....**श्री हरपाल** ...जाति ....**मीना**....(स) जन्म तिथि/वर्ष.....**70 वर्ष** ....
(द) राष्ट्रीयता.........**भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी................जारी होने की जगह...............................
(र) व्यवसाय...
(ल) पता.................**निवासी टपरा (अमरवाड़), तहसील व थाना सपोटरा, जिला करौली** ....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्याम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति माली, उम्र 27 वर्ष, निवासी बाढ़ करसोली, पुलिस थाना हिण्डौन सदर, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली।**...

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–..........**कोई नही**.............................
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
....**6,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).......
....**6,000/–रूपये रिश्वत राशि** ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**......................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......................

सेवामे, श्रीमान डीपटी साहब एसीबी करौली। विषयः– पटवारी को रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन हैं कि मेरी गाव अमरवाड़ में एक बीघा सोलह बिस्वा जमीन पर केश चल रहा था। मैं कोट से केश जीत गया। उस जमीन का अपने नाम नामान्तरण खुलवाने के लिए हल्का पटवारी अमरवाड़ श्री श्याम सिंह से मिला तो मेरे से 11000 रूपये मांगे। मैने पटवारी को चार हजार नौ सो रूपये (4900) दे दिये, अभी 6100 रूपये और मांग रहे है। मैं गिरदावल बद्री से मिला उसने कहा तेरा काम हो जायेगा। पटवारी को कुछ रूपये दे देना तभी तेरा काम होगा। मैं उनको पैसे नही देना चाहता पटवारी को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई पुरानी दुश्मनी नही है। नां ही कोई लेन–देन बकाया है। प्रार्थी हस्ता0 चिरंजी S/O हरपाल जाति मीना उम्र 70 साल निवासी टपरा (अमरवाड़) तहसील थाना सपोटरा मोबा. 9414827230

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 23.02.2023 समय 11:20 ए.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी करौली

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री चिरंजी पुत्र श्री हरपाल जाति मीना, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम टपरा (अमरवाड़), तहसील व थाना सपोटरा, जिला करौली ने उपस्थित कार्यालय होकर मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस को मौखिक रूप से पटवार हल्का अमरवाड़ के पटवारी

श्री श्याम सिंह को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने बाबत बताया, जिस पर परिवादी को प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा तो बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं केवल हस्ताक्षर कर सकता हूं , रिपोर्ट नही लिख सकता हूं। चुकि ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र बाहर से लिखवाये जाने पर गोपनीयता भंग होने की सम्भावना होने से कार्यालय में उपस्थित श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी के कहे अनुसार शब्द–ब–शब्द प्रार्थना पत्र लिखवाया गया एवं लिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री चिरंजी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र सही होना बताया जिस पर परिवादी श्री चिरंजी के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने मांगने पर अपना आधार कार्ड पेश किया जिसकी फोटोप्रति शामिल प्रार्थना पत्र किया गया। परिवादी ने पूछने पर पटवारी से कोई उधार का लेन–देन बकाया नही होना व नां ही कोई दुश्मनी होना बताया। लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया गया। परिवादी को सत्यापन प्रक्रिया से अवगत कराया गया। परिवादी ने बताया कि आज पटवारी साहब नही मिलेंगे, पटवारी साहब सोमवार को सपोटरा में ही मिल जायेगें। मैं बुजुर्ग आदमी हूं बार–बार आपके कार्यालय में नही आ सकता हूं। सोमवार को आप मेरे से बात कर आप अपने कर्मचारी को सपोटरा भिजवा देना। इस पर श्री श्याम सिंह कानि. को कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय की आलमारी में से डिजीटल वाईस रिकार्डर (SONY कम्पनी) निकाल कर श्री श्याम सिंह कानि. के सामने परिवादी श्री चिरंजी को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को खाली कर वापस आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। समय 01:00 पी.एम. पर परिवादी श्री चिरंजी को बाद हिदायत रूकसत किया गया। दिनांक 27.02.2023 मन उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य से भरतपुर गया हुआ था कि समय करीब 10:19 ए.एम. पर परिवादी से उसके मोबाईल पर वार्ता हुई तो परिवादी ने बताया कि आज पटवारी सपोटरा में मिल जायेगा, मैं सपोटरा आ रहा हूं। आप अपने कर्मचारी को वाईस रिकार्डर लेकर सपोटरा भिजवा दो, जिस पर श्याम सिंह कानि. को जरिये मोबाईल निर्देश दिये गये कि कार्यालय की आलमारी में से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकाल कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कुछ समय बाद सपोटरा रवाना होवे एवं परिवादी श्री चिरंजी के मोबाईल नं. 9414827230 पर कॉल कर वार्ता कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करें। मन उप अधीक्षक पुलिस के बाद राजकार्य के भरतपुर से कार्यालय में आने पर समय करीब 05:45 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. ने परिवादी मय रंनिग नोट पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो समय 11:15 ए.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार कार्यालय की आलमारी में से डिजीटल वाईस रिकार्डर (SONY कम्पनी) निकाल कर कम्प्यूटर से अटैच कर चार्ज कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मय सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4220 से सपोटरा रवाना होकर सपोटरा पहुंच परिवादी श्री चिरंजी के मिलने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाकर समय 01:40 पी.एम. पर मय परिवादी के वापस कार्यालय में आ गयाव वाईस रिकार्डर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि आज आपसे मोबाईल पर बात होने के बाद आपका कर्मचारी सपोटरा आया जिनको मैं पंजाब नेशनल बैंक सपोटरा के पास मिला व रिकार्डर को चालू हालत में लेकर पटवारी श्याम सिंह के किराये के कमरे जिसमें पटवारी अपना सरकारी काम करता है, जाकर मिला तो पटवारी जी ने मेरे से 6000 रूपये रिश्वत की मांग की है एवं रूपये कल देने के लिए कहा है, पटवारी ने रूपये देने के बाद ही मेरा काम होना बताया है, मेरी और पटवारी की आमने–सामने उनके किराये के कमरे पर हुई वार्ता आपके रिकार्डर में रिकार्ड है। पटवारी जी कल दिन में उनके कमरे पर ही मिल जायेगे। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादी के सामने श्री श्याम सिंह कानि. ने कार्यालय की आलमारी का ताला खोलकर डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जिसको कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद होना पाई गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। रिश्वत लेन–देन दिनांक 28.02.2023 को निर्धारित होने के कारण ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 28.02.2023 समय 08:30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह कार्यालय में भिजवाने हेतु जिला रोजगार अधिकारी, करौली के पदनाम से तहरीर जरिये पत्र क्रमांक 227 दिनांक 27.02.2023 जारी कर श्री विष्णु सिंह कानि. 135 को बाद हिदायत रोजगार कार्यालय जिला करौली के लिए रवाना किया गया, जिस पर समय 06:15 पी.एम. पर श्री विष्णु सिंह कानि. 135 रोजगार कार्यालय जिला करौली से हाजिर कार्यालय आया व वापसी पर कार्यालय पत्र क्रमांक 227 दिनांक 27.02.2023

मय जिला रोजगार कार्यालय करौली के पत्र क्रमांक 69–71 दिनांक 27.02.2023 पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो जिला रोजगार अधिकारी करौली द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार सैन वरिष्ठ सहायक व श्री उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक को दिनांक 28.02.2023 को समय 08:30 ए.एम. पर गोपनीय राजकार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु मनोनित किया है। उक्त पत्रांको को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 06:30 पी.एम. पर गवाहान व परिवादी श्री चिरंजी की उपस्थिति में डिजीटल वाईस रिकार्डर (SONY कम्पनी) को कार्यालय में स्थापित सरकारी कम्प्यूटर (acer कम्पनी) में कनेक्ट करवा कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (08 मिनट 42 सैकेण्ड) को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "A-3" तैयार करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डब शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "A-3" को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर रखा गया। अब तक की कार्यवाही व फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.02.2023 से आरोपी श्याम सिंह पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली द्वारा परिवादी श्री चिरंजी से परिवदी की जमीन का नामान्तकरण खोलने की एवज में 6,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि लेन–देन कल दिनांक 28.02.2023 को तय हुआ। समय 08:30 पी.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "A-2" को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया एवं परिवादी श्री चिरंजी ने पूछने पर बताया कि पटवारी को देने हेतु मेरे पास 6000 रूपयों की व्यवस्था है। मैं बुजुर्ग आदमी हूं अब मेरे गांव नही जा सकता एवं सुबह भी जल्दी आपके ऑफिस में नही आ सकता हूं। इस पर परिवादी को कार्यालय में बाद हिदायत रोका गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 09:00 ए.एम. पर दिनांक 27.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही हेतु जिला रोजगार कार्यालय से पाबन्द शुदा स्वतंत्र शुदा गवाहान श्री राजेन्द्र कुमार सैन वरिष्ठ सहायक एवं श्री उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक, उपस्थित कार्यालय आये। समय 09:15 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री चिरंजी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र कुमार सैन वरिष्ठ सहायक एवं श्री उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष में बुलाकर आपस में परिचय करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने हेतु कहा तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। इस पर परिवादी की रिपोर्ट दोनों स्वतंत्र गवाहान को दी जाकर पढ़वाया गया व ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा रिपोर्ट पर प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर मय दिनांक किये। समय 10:15 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री चिरंजी ने मांगने पर आरोपी श्याम सिंह पटवारी, पटवार हल्का अमरगढ़, तहसील सपोटरा, जिला करौली को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000/–रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

कम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 500 रूपये का	0 GR 565033
2.	एक नोट 500 रूपये का	0 KK 909723
3.	एक नोट 500 रूपये का	1 DW 608010
4.	एक नोट 500 रूपये का	5 LT 581387
5.	एक नोट 500 रूपये का	4 PP 120069
6.	एक नोट 500 रूपये का	2 FB 075346

7.	एक नोट 500 रूपये का	6 MF 716610
8.	एक नोट 500 रूपये का	8 UA 759990
9.	एक नोट 500 रूपये का	3 RA 512201
10.	एक नोट 500 रूपये का	0 VU 059862
11.	एक नोट 500 रूपये का	5 EE 703989
12.	एक नोट 500 रूपये का	1 VH 841068

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 6,000/–रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री चिरंजी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार सैन वरिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नही पाई गई। इसके बाद श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 6,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री चिंरजी के बदन पर पहने हुये कुर्ता के दांयी तरफ के जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करें। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें, इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री गोपेन्द्र कानि. से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. से गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैट बाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, स्टील के कटोरो आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री चिरंजी को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर (पैनड्राईव नुमा) को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर वाईस रिकार्डर में लगे धागे से वाईस रिकार्डर को गले में लटकवाया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। समय 10:40 ए.एम. पर शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये जाकर आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई एवं विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल को छोडकर कोई वस्तु नही पाई गई तथा परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के बारे में बताया गया। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री गोपेन्द्र सिंह कानि. 277 को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा जाकर श्री श्याम सिंह कानि. 599 व श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक को निजी मोटर साईकिल से तथा श्री राकेश सिंह कानि. 268 व श्री कपिल सिंह कानि. 168 को सरकारी मोटर साईकिल नं. RJ14 LB 4230 से तथा सरकारी वाहन बोलरो नं RJ14 UB 0336 से मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय बृजेश कुमार कानि. 461, श्री विष्णु सिंह कानि. 135, श्री केशव देव कानि. 600, स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र कुमार सैन वरिष्ठ सहायक, श्री उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री चिरंजी मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक 562 मय सरकारी लेपटॉप–प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणो के वास्ते ट्रेप

कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 11:45 ए.एम. पर सपोटरा कस्बा से पूर्व कैलादेवी रोड के पास पहूंचा जहां से श्री श्याम सिंह कानि. व सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री चिरंजी को बाद हिदायत आरोपी के कस्बा सपोटरा स्थित किराये के कमरे के लिए रिश्वत लेन–देन के लिए मोटर साईकिल से रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक के परिवादी के पीछे–पीछे सरकारी मोटर साईकिल से रवाना हुआ तथा शेष जाप्ता को मय सरकारी वाहन बोलेरो के पीछे–पीछे आने की हिदायत की गई। श्री श्याम सिंह कानि. की मोटर साईकिल से परिवादी उतर कर एक गली में प्रवेश कर गया, मन अमर सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी के परिवादी के नियत ईशारे की प्रतिक्षा में बन्टी जनरल स्टोर सपोटरा (आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल) के पास मैन रोड पर मुकिम हुआ। समय 12:03 पी.एम. पर परिवादी श्री चिरंजी ने बन्टी जनरल स्टोर सपोटरा (आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल) के पास स्थित गली में से बाहर निकल कर मैन रोड पर आकर मन उप अधीक्षक पुलिस को देखकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को ईशारा कर अपने साथ लेकर पास ही खडे परिवादी के पास पहुंचकर वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा व परिवादी ने पूछने पर बताया कि गली में अन्दर एक मकान का कमरा (दुकान नुमा) जिसमें पटवारी अभी काम कर रहा है जिन्होने मेरे से अभी–अभी मेरी जमीन का नामान्तकरण खोलने की एवज में 6000/रू लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की ऊपर की बांयी जेब में रख लिए है। इस पर परिवादी व ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार एक मकान में स्थित दुकान नुमा कमरा जिसमें टेबल–कुर्सी पर बैठे कार्य कर रहे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही श्याम सिंह पटवारी है जिन्होने मेरे से अभी–अभी मेरी जमीन का नामान्तकरण खोलने की एवज में 6000/रू लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की ऊपर की बांयी जेब में रख लिए है इस पर उक्त दुकान नुमा कमरा में प्रवेश कर उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाकर अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्याम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति माली, उम्र 27 वर्ष, निवासी बाढ करसोली, पुलिस थाना हिण्डौन सदर, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली होना बताया। यह मकान श्री घनयाम ठठेरा का है। मैने यह कमरा 2250 रूपये प्रतिमाह के किराये पर ले रखा है इसी कमरे में अपना सरकारी काम भी करता हूं। उक्त आरोपी श्याम सिंह पटवारी से परिवादी श्री चिरंजी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6000 रूपये के बारे में पूछा तो अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखा होना बताया। परिवादी श्री चिरंजी से 6000 रूपये किस बात के लिए है बाबत पूछा तो आरोपी पटवारी ने बताया की मैने चिरंजी से कोई रूपयों की मांग नही की, चिरंजी ने अपनी मर्जी से मेरी जेब में रख दिये है। मैने इनसे कोई रिश्वत नही ली है। परिवादी ने बताया कि यह झूठ बोल रहा है मेरे से दिनांक 22.02.2023 को भी पटवारी जी ने 4900 रूपये लिये थे और आज 6000 रूपये रिश्वत के लिए है। इस पर पटवारी ने बताया कि चिरंजी झूठ बोल रहा है मैने इससे पहले कोई रूपये नही लिये है, इसने आज ही मेरे जेब में बिना मांगे ही 6000 रूपये रखे थे। मैने इनसे कोई रिश्वत नही मांगी है। इसके पश्चात सरकारी वाहन से ट्रेप वॉक्स मंगवाकर ट्रेप वॉक्स में से स्वतंत्र गवाह उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक से स्टील का कटोरा निकलवाकर कमरे में रखे पानी के कैम्पर के पानी से स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर स्टील के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्याम सिंह पटवारी के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात पुनः उक्त स्वतंत्र गवाह से ही ट्रेप बॉक्स से दूसरा स्टील का कटोरा निकलवाकर कटोरा व चम्मच को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्याम सिंह पटवारी के बांये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्याम सिंह पटवारी को परिवादी श्री चिरंजी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6000 रूपये पेश करने की कहने पर आरोपी पटवारी द्वारा अपनी पहनी हुई शर्ट की ऊपर की बांयी जेब में से 500–500 रूपये के मुडे हुए नोट

निकालकर पेश किये जिनको सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार सैन वरिष्ठ सहायक को दिलवाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6000 रूपये होना बताया। उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान ए.सी.बी. कार्यालय करौली में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, नम्बरी रिश्वत राशि 6,000/–रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। स्वतंत्र गवाह उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर स्टील के कटोरा को साबुन पानी से साफ धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा मे से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर पेन से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया जिसमें आरोपी श्याम सिंह पटवारी की पहनी हुई शर्ट की ऊपर की बांयी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क SP-1 व SP-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी पटवारी की शर्ट की जेब की धूप में सुखवाकर जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर शील्ड मोहर कर मार्क S अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी श्याम सिंह पटवारी से परिवादी के पैण्डिग कार्य के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि इनका नामान्तकरण खोलने का कार्य मेरे पास पैण्डिग है। श्री चिरंजी व सुआबाई के नाम से नामान्तकरण खोलने हेतु मुझे करीब 25 जनवरी 2023 को तहसीलदार साहब के आदेश मय डिग्री की प्रतियां मिली, जिस पर मैने स्टे वगैरा की जानकारी कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया एवं तहसील कार्यालय सपोटरा से मिले दस्तावेजो में नक्शा नही होने से मेरे द्वारा एस.डी.एम. कार्यालय सपोटरा में सम्पर्क कर नक्शा प्राप्त किया गया। नक्शा प्राप्त होने के बाद तहसील कार्यालय से नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) तहसीलदार द्वारा संशोधित दिनांक 27.02.2023 को प्राप्त कर मेरे द्वारा दिनांक 27.02.2023 को ही रिपोर्ट कर दी गई। आज दिनांक 28.02.2023 को मैने श्री बद्रीप्रसाद गिरदावर अमरगढ़ से उक्त नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) पर रिपोर्ट करवाई गई है। इसके बाद मैं उक्त नामान्तकरण को नायब साहब को पेश कर रिपोर्ट करवाकर ऑनलाईन करवाता, जिस पर नामान्तकरण खुल जाता। नामान्तकरण की अभी किसी प्रकार की कोई फीस नही है। ढाल वॉच में एन्ट्री होने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित फीस 20 रूपये वसूल कर रसीद काटी जाती है। अभी इस नामान्तकरण पर कोई राशि/फीस बकाया नही है। नामान्तकरण से सम्बन्धित दस्तावेज आरोपी पटवारी ने अपने पास ही रखे होना बताया, जिनको पृथक से प्राप्त कर प्रमाणित फोटोप्रति जरिये फर्द जप्ती जप्त की जावेगी। मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे हुए वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादी व आरोपी से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादी वआरोपी ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। फर्द बरामदगी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्याम सिंह पटवारी के निवास स्थान के बारे में दौराने ट्रेप कार्यवाही ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, जिस पर ब्यूरो चौकी भरतपुर से आरोपी के निवास की तलाशी लिये जाने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। आरोपी श्याम सिंह पटवारी का सेवा विवरण चाहने हेतु पृथक से पत्र तैयार कर मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार सपोटरा को दिया गया जिस पर नायब तहसीलदार सपोटरा द्वारा लिखित में पेश किया कि श्री श्याम सिंह पटवारी का सेवा रिकार्ड पी.टी.एस. सूरौठ से कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। इस पर आरोपी का सेवा विवरण चाहने बाबत जरिये वाट्सएप पत्र पी.टी.एस. सूरोठ़ प्रेषित किया गया। समय 02:30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्याम सिंह पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली की आवाज की पहचान हेतु पूर्व में दौराने ट्रेप कार्यवाही तैयार की गई DVD आई.ओ. प्रति मार्क A-3 जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को लेपटॉप में लगाकर लेपटॉप से स्पीकर अटैच कर वार्ता को तलबशुदा उपस्थित श्री यादराम धाकड़ पुत्र श्री किशोर, उम्र 59 वर्ष, निवासी बागोर, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली हाल नायब तहसीलदार, तहसील सपोटरा की उपस्थिति में सुना गया व रिकार्ड वार्ता में आवाजो की पहचान करवाई गई तो श्री यादराम धाकड नायब तहसीलदार द्वारा रिकार्ड वार्ता में से एक आवाज श्याम सिंह पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली की होना एवं आरोपी के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवाज रिकार्ड है जिसको पहचाने से इंकार किया। दिनांक 28.02.2023 को दौराने रिश्वत लेन–देन वाईस रिकार्डर में रिकार्ड आवाज की पहचान हेतु वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर स्पीकर की मदद से सुनाया गया तो श्री यादराम धाकड

नायब तहसीलदार द्वारा रिकार्ड वार्ता में से एक आवाज आवाज श्याम सिंह पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली की होना एवं आरोपी के अलावा अन्य व्यक्तियों की आवाज रिकार्ड है जिसको पहचाने से इंकार किया। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 03:00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री चिरंजी एवं मौके पर उपस्थित श्री यादराम धाकड़ नायब तहसीलदार तहसील सपोटरा के सामने मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज मांगने पर आरोपी श्याम सिंह पटवारी द्वारा अपने कमरे की दिवार में बनी पत्थर की आलमारी में से परिवादी के कार्य से सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 1474 मय डिग्री आदेश, नक्शा, नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) आदि पेश की, जिनका अवलोकन किया तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, जिला करौली के पत्र क्रमांक रीडर/20/18 दिनांक 05.01.2023 उनवानी प्रकरण कैलाश बनाम सुआबाई वगैरा मु0नं. 17/19 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.10.2022 की पालना करने के सम्बन्ध में तहसीलदार सपोटरा को प्रेषित पत्र मय दस्तावेज जिस पर कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सपोटरा जिला करौली के पत्रांक LR/2023/112 दिनांक 11.01.2023 भ0अभि0निरी0/पटवारी हल्का अमरवाड़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया हुआ है। उक्त आदेश के संलग्न मु.नं. 17/19 दावा बाबत बंटवारा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. का निर्णय दिनांक 11.10.2022 की फोटोप्रति, कम्प्यूटराईज्ड नक्शा प्रिन्ट, नजरी नक्शा, नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) नामान्तकरण संख्या 1474 है सलंग्ल है। नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) पर हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 व गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2023 की हुई है। उक्त मूल दस्तावेज को जप्त करने से परिवादी का कार्य बाधित हो जाने के कारण मौके पर उपस्थित श्री यादराम धाकड़ नायब तहसीलदार तहसील सपोटरा को मूल दस्तावेज सुपुर्द कर प्रमाणित फोटोप्रति पेश करने की करने पर प्रमाणित फोटोप्रति पेश की। उक्त दस्तावेज की नम्बरिंग करवाई गई तो जिसमें कुल 09 पेज थे। प्रमाणित फोटोप्रति के प्रथम व अन्तिम पेज पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत जप्त किया गया। नायब तहसीलदार सपोटरा को मूल दस्तावेज सुपुर्द कर परिवादी का कार्य नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये। फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 03:20 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चिरंजी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 03:45 पी.एम. पर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को स्वास्थ्य खराब होने से बाद हिदायत स्वयं की निजी मोटर साईकिल से ब्यूरो चौकी करौली के लिए रवाना किया गया। समय 03:50 पी.एम. पर आरोपी के किराये की ऑफिस के पास ही स्थित आरोपी किराये के रिहायशी कमरा जिसमें आरोपी निवास करता है कि खाना तलाशी स्वतंत्र गवाहान व आरोपी की उपस्थित की नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई। समय 04:20 पी.एम. पर अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति माली, उम्र 27 वर्ष, निवासी बाढ करसोली, पुलिस थाना हिण्डौन सदर, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 05:50 पी.एम. पर अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली द्वारा किराये से लिये हुए कमरे (दुकान नुमा) मकान श्री घनयाम ठठेरा का ताला लगवाकर कमरे की चाबी श्री बद्री प्रसाद गिरदावर अमरगढ़, तहसील सपोटरा, जिला करौली को सुपुर्द की गई। कमरे में अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी का सरकारी रिकार्ड अभियुक्त की निशादेही से श्री बद्री प्रसाद गिरदावर अमरगढ को बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। समय 06:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्यों व परिवादी व गिरफ्तार शुदा अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी के सरकारी बाहन बोलेरा व सरकारी मोटर साईकिल मय बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 6,000 रूपये व जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, SP–1, SP–2 व शील्ड पैकेट मार्क P व वजह सबूत के मय लेपटॉप, प्रिन्टर, एयरफोन, ट्रेप बॉक्स आदि उपकरणों के कस्बा सपोटरा से रवाना होकर समय 07:05 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी करौली पहुंचा। अभियुक्त को जाप्ता निगरानी बिठाया गया। ट्रेप कार्यवाही में बरामद शुदा शील्ड नम्बरी रिश्वती राशि 6,000 रूपये व जप्त/शील्डशुदा शीशी मार्क RH–1, RH–2, LH–1, LH–2, SP–1, SP–2 व शील्ड पैकेट मार्क P को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 07:20 पी.एम. पर श्री केशव देव कानि., श्री राकेश सिंह कानि. व श्री विष्णु सिंह कानि. को गिरफ्तार शुदा अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली करौली में बंद हवालात कराने हेतु पृथक–पृथक से ड्यूटी ऑफीसर जिला चिकित्सालय करौली व थानाधिकारी कोतवाली करौली के नाम तहरीर

जारी कर मय वाहन सरकारी बोलरो मय श्री बृजेश कुमार कानि. चालक के जिला चिकित्सालय करौली व पुलिस थाना कोतवाली करौली के लिये रवाना किया गया जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी का जिला चिकित्सालय करौली में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर पुलिस थाना कोतवाली करौली पहुंच अभियुक्त को खाना खिलवाकर अभियुक्त को बंद हवालात करवाया जाकर कोतवाली करौली से रवाना होकर समय 08:30 पी.एम. पर हाजिर कार्यालय आये। समय 09:00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को दोनो स्वतत्रं गवाहान एवं परिवादी श्री चिरंजी के समक्ष कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर (acerकम्पनी) से वाईस रिकार्डर को कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 28.02.2023 को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ता का एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "B-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "B-2" एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "B-3" तैयार करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत लेन–देन वार्ता व पैन ड्राईव व DVD में डब वार्ता का मिलान किया तो हूबहू होना पाई गई। कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत लेन–देन वार्ता को टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डब शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "B-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "B-2" को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं एक DVD (SONY कम्पनी) आई.ओ. प्रति मार्क "B-3" को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर रखा गया। समय 11:10 पी.एम. पर अलग–अलग कपड़े की थैली में शील्ड शुदा एक पैन ड्राईव (Kingston) न्यायालय हेतु मार्क "B-1" व एक DVD (SONY कम्पनी) मुल्जिम प्रति मार्क "B-2" को मालखाना प्रभारी श्री बृजेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 11:30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 25 को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 11:50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र कुमार सैन वरिष्ठ सहायक व उमेश कुमार मित्तल कनिष्ठ सहायक को बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के रूकसत किया गया एवं परिवादी श्री चिरंजी ने बताया अभी रात्रि है मैं बुजुर्ग हूं और गांव नही जा सकता, सुबह आपके कार्यालय से रवाना हो जाऊंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी, पटवार हल्का अमरगढ़, तहसील सपोटरा, जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री चिरंजी से उसकी जमीन का नामान्तकरण खोलने की एवज में दिनांक 27.02.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 6,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं उक्त मांग की अनुशरण में दिनांक 28.02.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी ने आर्दश विद्या मन्दिर स्कूल के पास कस्बा सपोटरा में अपने किराये के कमरे जिसमें ऑफिस का कार्य करता है पर परिवादी से मांग कर 6,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी को पकड़ा जाकर की हाथ धुलाई करवाई जाकर अभियुक्त की पहनी हुई शर्ट की सामने की उपर की बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद कर जप्त की गई। परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बधित दस्तावेज की प्रमाणित फोटोप्रति जप्त कर अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त श्याम सिंह पटवारी के पास परिवादी की जमीन का नामान्तकरण खोलने का कार्य पैण्डिग होना पाया गया। अतः अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति माली, उम्र 27 वर्ष, निवासी बाढ़ करसोली, पुलिस थाना हिण्डौन सदर, जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज०)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री श्याम सिंह, पटवारी, पटवार हल्का अमरवाड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 49/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 382-85 दिनांक 01.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

1.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।